



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 14.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए

04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. शिवा सिंह पुत्र राजेश सिंह 2. दीपक जायसवाल पुत्र मोतीलाल जायसवाल 3. अजीत कुमार पुत्र गौरीशंकर 4. विकास पुत्र रामऔतार निवासीगण उदयपुर महेवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1840 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 140/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा सहित अभियुक्त मनीष कुमार को
किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जपनद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र बाबूराम नि० संसारपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ०१ अदद अवैध तमंचा ३१५ बोर व ०१ अदद अवैध जिंदा कारतूस ३१५ बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० ५०/२१ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध 177 ग्राम गांजा सहित अभियुक्त राजेश
मौर्या उर्फ नकलू को किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जपनद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश मौर्या उर्फ नकलू पुत्र मलखान नि वार्ड नं० 6 मितौली थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 177 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 26/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना मैगलंगज पुलिस द्वारा 1.07 किग्रा अवैध डोडा चूर्ण सहित
अभियुक्त महेन्द्र को किया गया गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैगलंगज पुलिस द्वारा अभियुक्त महेन्द्र उर्फ महेश पुत्र राजाराम नि0 महमूदपुर थाना मैगलंगज खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1.07 किग्रा अवैध डोडा चूर्ण बरामद किया गया।

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया

गिरफ्तार



प्रेस नोट

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपराध रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना हैदराबाद पर मु.अ.सं.038/2021 धारा 323/306 IPC का नामजद अभियुक्तगण 1. गुड्डू पुत्र सूरज बली निवासी कैथोला थाना हैदराबाद जिला खीरी 2. नेतराम पुत्र सूरज बली निवासी कैथोला थाना हैदराबाद जिला खीरी रोशन नगर नहर पुल से आज दिनांक 14-02-2021 को समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. गुड्डू पुत्र सूरज बली निवासी कैथोला थाना हैदराबाद जिला खीरी।
2. नेतराम पुत्र सूरज बली निवासी कैथोला थाना हैदराबाद जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष सुनीत कुमार थाना हैदराबाद जिला खीरी।
2. उ0नि0 विनोद सिंह थाना हैदराबाद जिला खीरी।
3. का0 भवानी सिंह थाना हैदराबाद जिला खीरी।
4. का0 रवि खुराना थाना हैदराबाद जिला खीरी।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 134/21 धारा 452/326/506 भादवि में वांछित अभियुक्त वसीम उर्फ प्रधान पुत्र बंगाली नि0 हिदायत नगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 25/21 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त मिथुन पुत्र जशवन्त नि0 प्रतापपुर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 1121/19 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त त्रिभुगी पुत्र हारीलाल नि0 रकेताह थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 9896/09 धारा 26/41/42 भादवि में वारंटी अभियुक्तों 1. शत्रोहन पुत्र मिश्री 2. रामविलास पुत्र जगमोहन नि0 ढकेरवा नानकपुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना ईशानगर पुलिस द्वारा अ0सं0 236/14 धारा 498ए/304 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वारंटी अभियुक्तों 1. सददाम हुसैन पुत्र आसिफ अली 2. आसिफ अली पुत्र मीर अली 3. सुफियान पुत्र आशिफ अली नि0 त्रिकोलिया थाना ईशानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फरधान पुलिस द्वारा अ0सं0 31/18 धारा 323/504 भादवि में वारंटी अभियुक्त प्रभात राज पुत्र छोटेलाल नि0 टीकर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 42 लीटर अवैध कच्ची शराब, 0 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना ईशानगर	22 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना कोतवाली सदर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	42 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार